

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 10/2015 राजस्व वाद

उनवान

1. शंकरलाल पिता रामचन्द्र माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादी)

बनाम

1. बालु पिता लादु माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. नगजी पिता लादु माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. गोदु पिता लादु माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. राधेश्याम पिता लादु माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
5. रूकमा बेवा लादु माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
6. जमना पिता लादु माली निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा एवं पदेन उपजीयक बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री कृष्ण कुमार जीनगरवादी अधिवक्ता

दिनांक– 30.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेड़ा में वादी उपस्थित। आज दिनांक 30.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बनेड़ा पटवार क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1. शंकरलाल पिता रामचन्द्र माली सा0बनेड़ा (वादी)


| आ0न0 | रकबा/किस्म | लगान |
|-------|---------------------|------|
| 4094 | 0-01-10 जा0प्रथम | 0.40 |
| कुल 1 | रकबा 0-01-10 बिस्वा | 0.40 |

2. गोदु राधेश्याम पिता लादु, रूकमा बेवा लादु माली सा0बनेड़ा (प्रतिवादी)


| आ0न0 | रकबा/किस्म | लगान |
|--------|------------------------|------|
| 4094/1 | 0-00-10 जा0प्रथम | 0.13 |
| 4095 | 00-01-00 गोमु0आबादी | — |
| कुल 2 | रकबा 0-01-10 बिस्वा | 0.13 |

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 06 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिससे की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।


(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव


उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा